Toppersnotes
Unleash the topper in you

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल

भाग -2

राजस्थान का इतिहास,कला संस्कृति व भूगोल एवं राजनीति

SIERRA INNOVATIONS

RAJASTHAN POLICE CONSTABLE

राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति व भूगोल एवं राजनीति

राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राचीन राजस्थान का इतिहास	
	• परिचय	1
	• प्राचीन सभ्याताएँ	3
2.	मध्यकाल राजस्थान का इतिहास	
	• प्रमुख राजवंश राजाओ एवं रियासतों का इतिहास एवं विशेषताएं	9
3.	आधुनिक राजस्थान का इतिहास	
	• 1857 की क्रांति	48
	• प्रमुख किसान आन्दोलन	50
	• प्रमुख जनजातीय आन्दोलन	52
	• प्रमुख प्रजामण्डल आन्दोलन	56
	• राजस्थान का एकीकरण	61
	• राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण	64
	• नारियों की भूमिका	68
	• राजस्थान के स्वतत्रंता सेनानी	72
4.	राजस्थान कला एवं संस्कृति	
	• राजस्थान के त्योहार	80
	• राजस्थान के लोक देवता	87
	• राजस्थान की लोक देवियाँ	91
	• राजस्थान के लोक सन्त एवं सम्प्रदाय	95
	• राजस्थान के लोकगीत घराने	100
	• राजस्थान की लोकगायन की शैलियाँ	101
	• राजस्थान के संगीत	102
	• राजस्थान के लोक नृत्य	103
	• राजस्थान के लोकनाट्य	107

	• राजस्थान की जनजातियाँ • राजस्थान की चित्रकला • राजस्थान की हस्तकलाएँ • राजस्थान के प्रमुख मेलें • राजस्थान का साहित्य एवं प्रकार • राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ	110 113 118 130 136 141
5.	राजस्थान की स्थापत्य कला • किले एवं स्मारक • राजस्थान के जिले एवं धार्मिक स्थल • राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व • राजस्थान का खान–पान, वेश–भूषा एवं आभूषण	146 155 158 163
	राजस्थान का भूगोल	
6.	राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार एवं क्षेत्रफल	166
7.	राजस्थान का भौतिक प्रदेश एवं विभाग	172
8.	राजस्थान का अपवाह तंत्र	183
9.	राजस्थान की झीलें	191
10.	राजस्थान की जलवायु	196
11.	राजस्थान में मृदा संसाधन	203
12.	राजस्थान में वन–संसाधन एवं वनस्पति	207
13.	राजस्थान में खनिज सम्पदा	212
14.	राजस्थान में ऊर्जा स्त्रोत	220
15.	राजस्थान में पशुधन	230
16.	राजस्थान में कृषि एवं सिंचाई परियोजनाएँ	234
17.	राजस्थान की जनसंख्या	244
18.	राजस्थान में वन्यजीव एवं इनका संरक्षण	246
19.	राजस्थान में उद्योग एवं पर्यटन	250
20.	राजस्थान में परिवहन	258

21.	स्हकारी साख तथा सामाजिक न्याय व कल्याण योजनाएँ	270

राजस्थान : राजव्यवस्था		
1.	संविधान की पृष्टभूमि	276
2.	संविधान के स्त्रोत	277
3.	अनुसूचियाँ	278
4.	संविधान के भाग	279
5.	भारतीय संविधान की प्रस्तावना	280
6.	भारत का एकीकरण	282
7.	मौलिक अधिकार	282
8.	राज्य के नीति निदेशक तत्व	291
9.	मौलिक कर्तव्य	292
10.	संघ – कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका	295
11.	आपातकालीन उपबंध	300
12.	प्रधानमंत्री उसकी शक्तियाँ	307
13.	केन्द्रीय मंत्रिमडल	309
14.	राज्य (भाग – 6)	322
15.	राज्य का विधान मंडल	342
16.	केन्द्र–राज्य संबंध	330
17.	संविधान की विशेषताएं	335
18.	महत्वपूर्ण संविधान संशोधन	336
19.	संसद मे राजस्थान का प्रतिनिधित्व	338
20.	राजस्थान उच्च न्यायालय	344
21.	राज्य प्रशासन (मुख्यमंत्री कार्यालय)	344
22.	जिला प्रशासन	348
23.	तहसीलदार	349
24.	पटवारी	349

25.	पुलिस प्रशासन	349
26.	राजस्थान लोक सेवा आयोग **(RPSC)**	351
27.	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	352
28.	लोकायुक्त	353
29.	राजस्थान राज्य वित्त आयोग	354
30.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	356
31.	राजस्थान राज्य महिला आयोग	358

राजस्थान का इतिहास एक परिचय

- 1949 ई. से पूर्व राजस्थान राज्य अस्तित्व मे नही था ।
- 1800 ई. में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भू भाग के लिए ''राजपुताना'' शब्द का प्रयोग किया था;
- 1829 ई. में ''एनल्स एण्ड एण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान'' के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम ''रायथान'' अथवा ''राजस्थान'' रखा ।
- 30 मार्च 1949 ई. को स्वतन्त्रता पश्चात प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ और इस प्रदेश का नाम राजस्थान सर्वसम्मिति से स्वीकार किया गया ।

  प्राचीन काल से ही राजस्थान विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, जिन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं ।

प्राचीन काल एवं अभिलेखो के अनुसार नाम

प्राचीन नाम	–	वर्तमान नाम
मरू, धन्व	–	जोधपुर संभाग (मरूस्थल)
जांगल	–	बीकानेर –नागौर
मत्स्य	–	जयपुर,अलवर,भरतपुर
शुरसेन	–	धौलपुर–करौली

नोट

मरू, धन्व, जांगल, मत्स्य, शुरसेन का उल्लेख ऋग्वेद मे भी मिलता है ।

- शूरसेन, मत्स्य का उल्लेख महाभारत मे भी मिलता है ।

भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नाम

कांठल	–	प्रतापगढ का क्षेत्र माही नदी के आस–पास
छप्पन का मैदान	–	बांसवाडा–प्रतापगढ के मध्य का भू भाग
ऊपरमाल	–	भैंसरोढगढ से लेकर बिजौलिया तक का पठारी क्षेत्र
गिरवा	–	उदयपुर के आस पास का पहाडी क्षेत्र
मॉड	–	जैसलमेर
वागड	–	डूंगरपुर बासंवाडा
हाडौती	–	कोटा–बूँदी
शेखावाटी	–	सीकर झुन्झुनू, चुरू

प्राचीन राजस्थान का इतिहास

इतिहास का विभाजन

सम्पूर्ण इतिहास को तीन भागों (कालों) में विभक्त किया गया है ।

काल खण्ड		
प्रागैतिहासिक काल	आद्य ऐतिहासिक काल	ऐतिहासिक काल
इतिहास जानने हेतु लिखित साक्ष्य उपलब्ध नही अर्थात मानव लेखन शैली से परिचित नही।	इस काल का मानव लेखन शैली से परिचित परन्तु उस लिपि को अभी तक पढा नही जा सकता है ।	इस काल का मानव लेखन शैली से परिचित था । इस काल के स्पष्ट एवं सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है ।
इतिहास जानने का स्त्रोत पुरातात्विक साक्ष्य एवं उपकरण अथवा सामग्री है।	इन अर्थो मे भारतीय इतिहास को इस प्रकार से विभक्त कर सकते है ।	
मानव आदिम था, मायावरी जीवन जीता था	1. प्राक युग – सृष्टि के आरम्भ से हडप्पा सभ्यता के पूर्व तक था ।	
आखेट पर जीवन निर्वाह करता था	2. आद्य युग– हडप्पा सभ्यता – 600 ईसा पूर्व	
आग जलाना सीख चुका था ।	3. ऐतिहासिक–600 ईसा पूर्व – वर्तमान तक	

प्रागैतिहासिक राजस्थान अथवा प्राक युग में राजस्थान

- मानव सभ्यता के उद्भव के काल को पाषाण काल कहते है जो इस प्रकार विभक्त है
  (1) पूर्व पाषाण काल
  (2) मध्य पाषाण काल
  (3) उत्तर/नव पाषाण काल
- चूंकि राजस्थान प्राचीनतम भू भागों में से एक होने के कारण मानव सभ्यता का जन्म स्थल रहा है ।
- राजस्थान मे मानव सभ्यता के प्राचीनाम् साक्ष्य नदी घाटियो में देखने को मिलते है ।

नोट :- राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का सर्वप्रथम श्रेय एच.सी.एल. क्लाइल को दिया जाता है ।

राजस्थान मे पूर्व पाषाणकालीन प्रमुख स्थल निम्न है

- अजमेर, अलवर, चितौड., भीलवाडा, जयपुर, झालावाड., जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि ।
- नदी:- चम्बल, बनास, लूणी एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए ।
  मध्य पाषाण काल:- इस काल के साक्ष्य निम्न स्थानो से प्राप्त हुए है ।
- प्रमुख स्थल:- बागौर-भीलवाडा बेडच (चितौड), तिलवाडा-बाडमेर, विराट-जयपुर (विराट नगर)
- नदी:- लूनी एवं सहायक नदी
- उपकरण:-ब्लेड, इन्द्रोवर, ट्रायएंगल, क्रेसेन्ट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, प्लाइटर आदि ।
- ये उपकरण-जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलिपन, कक्वार्टजाइट, कल्सेडोनी आदी पाषाणों के बने होते थे ।

नोट
निम्न स्थानो से शैलाक्षय चित्र मिले है:-

- बूंदी- छाजा नदी क्षेत्र, विराटनगर-जयपुर
- कोटा- अरनिया क्षेत्र, हरसौरा-अलवर
- सोहनपुरा-सीकर, दर - भरतपुर

उत्तर (नव) पाषाण काल:- भारत के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी इस काल के साक्ष्य मिलते है ।

स्थल :- अजमेर, नागौर, सीकर, झुन्झुनू, जयपुर हनुमानगढ (कालीबंगा), उदयपुर (आहड गिलूक), चितौड, जोधपुर आदि ।

राजस्थान में धातु काल:- इस काल को तीन भागों मे विभक्त किया जा सकता है ।

ताम्र पाषाण	लौह काल	चित्रित मृदभाण्ड संस्कृति **(PGW)**
तम एवं ताम्र-कांस्य काल (केवल ताम्र पाषाण या कास्य उपकरण मिले) स्थल-गणेश्वर (सीकर) कालीबंगा (हनुमानगढ) गिलूण्ड (राजसमन्द) आहड व झाडौल (उदयपुर) पिण्ड पाडलियाँ (चित्तौड) कुराडा (नागौर)। सावनियाँ व पुगल (बीकानेर) नन्दलालपुरा, किराउत, चीथवाडी (जयपुर) कौल माहौली (सवाई माधोपुर) बुढापुष्कर (अजमेर) मलाह (भरतपुर)	लौंहे का आविष्कार स्थल:- नोह (भरतपुर) जोधपुर (जयपुर) नगर सुनारी (झुझुनू) भीनमाल रैढ (टोंक) सांभर (जयपुर) नोट:- नोह से प्राप्त लौंह अवशेष भारत मे लौंहयुग आरम्भ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्त्रोत है। चक 84, तखानवाला गंगानगर, अनुपगढ (बीकानेर)	सलेटी रंग की चित्रित मृदभाण्ड संस्कृति का उदय । स्थल:- विराट नगर व जोधपुर (जयपुर) सुनारी नोह

राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएँ

बागोर :- अवस्थिति:- भीलवाडा (राजस्थान)
नदी:- कोठारी (महासतियाँ का टीला नामक जगह पर ।)
उत्खनखनकर्ता:- डॉ. वी. एन. मिश्र (1967-70) द्वारा डेक्कन कॉलेज पूना के सहयोग से एवं लैश्विक महोदय

सामग्री :- प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले है ।

- 4000 ईसा पूर्व - 5000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है ।
- यह सभ्यता तीन स्तर की है ।
  1. प्रथम स्तर- 4180-3285 ईसा पूर्व
  2. दूसरा स्तर- 2750 ईसा पूर्व -500 ईसा पूर्व
  3. तीसरा स्तर- 500 ईसा पूर्व - वर्तमान तक
- बडी संख्या मे लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए है ।
- शिकार/आखेट द्वारा जीवन निर्वाह के साक्ष्य मिलते है ।
- यहां से ताबे के उपकरण भी मिलते है, जिसमें प्रमुख उपकरण छेद वाली सुई है ।
- यहां से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले है ।
- यहां तीसरे स्तर की खुदाई मे लौह उपकरणों के साथ चाक पर बने बर्तन एवं मृदभाण्डों के साक्ष्य मिले है ।
- यहां मकान बाने के लिए पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया है ।
- बागोर के निवासी शवों को उत्तर दक्षिण दिशा मे दफनाते थे ।
- बागोर को "मध्य पाषाण काल सभ्यता का घर" कहा जाता है ।
- बागोर सभ्यता स्थल को "आदिम सभ्यता/संस्कृति का संग्रहालय" कहा गया है ।

तिलवाडा :- अवस्थिति :-बाडमेर
नदी- लूणी नदी
उत्खननन कर्ता

सामग्री

- यहां से 5 आवास स्थलों के साक्ष्य मिले है ।
- यह सभ्यता भी बागोर सभ्यता के समकालीन थी, अतः यहां से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते है ।
- यहां से एक अग्निकुण्ड मिला है जिसमें मानव एवं पशुओं के अस्थि अवशेष मिले है ।
- यहां पर चाक से बने स्लेटी एवं लाल रंग के मृदभाण्ड मिले है ।
- वी.एन. मिश्र ने इस सभ्यता का काल 500 ईसा पूर्व - 200 ईसा पूर्व माना है ।
- पाषाणकालीन सभ्यता के अन्य स्थल निम्न है । जायल, डीडवाना (नागोर) बुढा पुष्कर (अजमेर) ।

कालीबंगा :- अवस्थिति- हनुमानगढ
नदी-घग्घर/सरस्वती/दृषद्धती/चौतांग
उत्खननकर्ता- अमलानन्द घोष (1952)अन्य सहयोगी- बी. बी. लाल बी. के. थापर
जे. पी. जोशी एम. डी. खरे
शाब्दिक अर्थ- काली चुडिया (पंजाबी भाषा का शब्द)
उपनाम- दीन हीन बस्ती- कच्ची ईंटों के मकान ।

सामग्री

- सात अग्नि वेदिकाएँ एवं हवन कुण्ड मिले है, संभवत धार्मिक यज्ञानुष्ठान का प्रचलन रहा होगा ।
- युग्मित शवाधान प्राप्त हुए है संभवत सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा ।
- एक मानव कपाल खण्ड मिला है, जिसे मस्तिष्क शो घन बीमारी तथा शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है।
- जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते है (एकमात्र स्थान) एक साथ दो फसले, उगाया करते थे, जौ एवं सरसों । सडकें समकोण काटती है ।
- मकान कच्ची ईंटों के थे बल्लियो की छत होती थी । ऑक्सफोर्ट पद्धति/जाल पद्धति पर मकान बने है ।
- जल निकाली हेतु लकडी की नालियों के साक्ष्य मिले है अर्थात सुदृढ जल निकासी व्यवस्था नही थी ।
- ईंटों को धूप से पकाया जाता था ।
- वृताकार चबूतरे एवं बेलनाकार मुद्रे (मैसोपोटामिया) मिली है ।
- लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले है जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएँ खीची गई है ।
- यहां से एक खिलौना गाडी एवं पंख फैलाए बगुले की मूर्ति मिली है ।
- यहां से ऊँट के अस्थि अवशेष मिले है ।
- यहां का नगर अन्य हडप्पा स्थलों की तरह ही है, लेकिन यहां गढी एवं नगर दोनों दोहरे परकोटे युक्त है ।
- यहां उत्खनन में पांच स्तर प्राप्त हुए है प्रथम दो स्तर प्राक हडप्पा कालीन है । अन्य तीन स्तर समकालीन हडप्पा है ।

- यहां प्राचीनतम भूकम्प के साक्ष्य प्राप्त होते हैं ।
- इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार यह हडप्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है ।
- यहां एक कब्रिस्तान मिला है जिसे यहां के लोगों की शवाधान पद्धति की जानकारी भी मिलती है ।
- अन्य सामग्री:- मिट्टी के बर्तन, काँच के मनके, चुडियाँ, औजार, तौल के बाट आदि:
- 1985-86 मे भारत सरकार ने यहाँ एक संग्रहालय बनवाया है ।

नोट :- कालीबंगा को सर्वप्रथम किसी ने देखा वह एल. पी. टेस्सी - टोरी थे, जिन्होने राजस्थान मे चारण साहित्य पर शोध किया था ।

कोथी :- अवस्थिति- बीकानेर, हनुमानगढ 1953
उपनाम- कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है ।
ए. एन. घोष ने इसे सम्पूर्ण हडप्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा है ।

नोट :- हडप्पा सभ्यता के अन्य स्थल- पुंगल एवं सोबनिया है ।

आहड :- अवस्थिति:- उदयपुर
नदी- आहड (आयड) या बेडच के किनारे
उपनाम:- ताम्रवती नगरी (ताम्र उपकरणों के कारण) बनासनीयन सभ्यता (बनास की सहायक नदियों पर स्थित) धूलकोट-(स्थानीय नाम मिट्टी का टीला)
मृतकों का टीला-(मृतप्राय सभ्यता के कारण)
अघाटपुर-(प्राचीन नाम) आघाट दुर्ग
उत्खननकर्ता:- अक्षयकीर्ति व्यास सर्वप्रथम 1953 ई. में ।
सहयोगी:- रतनचन्द्र अग्रवाल, उत्खनन - 1954
एच.डी. सांक लिया, वी. एन. मिश्र, उत्खनन 1961-62

सामग्री

- यहां से 4000 ईसा पूर्व प्राचीन प्रस्तर युगीन सभ्यता के अवशेष मिले है ।
- यह 8 स्तर की सभ्यता है, जिसके चौथे स्तर से ताँबें की दो कुल्हाडियाँ मिली है ।
- यहाँ से एक घर मे 6-8 चूल्हे मिले है, सम्भवत: सामुहिक भोज अथवा संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा होगा ।
- यहाँ से एक युनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो (सूर्य का देवता) का अंकन है ।
- बिना हत्थे के जलपात्र मिले है जो फारस (ईरान) से सम्बन्ध को दर्शाते है ।
- यहाँ के लोग पत्थरो की नीव एवं ईटों की दीवार बनाते थे, मकान पर छत बाँस का होता था ।
- ईटों को धूप से पकाया जाता था ।
- नालियों के अवशेष भी मिलते है ।
- यहां से काले एवं लाल रंग के मृदभाण्ड मिले है ।
- इन मृदभाण्डों मे लोग अनाज रखते थे जिन्हे स्थानीय भाषा में गोरे या कोठ कहा जाता है ।
- पशुपालन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था ।
- रंगाई-छपाई के व्यवसाय से परिचित थे ।
- यहां से एक बैल की मृण्मूर्ति मिली है जिसे ''बनासीयन बुल'' की संज्ञा दी गयी है ।
- यहां के लोग आभूषणों सहित शवों को दफनाते थे संभवत: मृत्यु के बाद भी जीवन मे विश्वास रखते थे ।
- आहड से ताँबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है ।
- यहां उत्खनन मे ठप्पे प्राप्त होने से रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है ।
- अन्य सामग्री मे ताँबे की 6 मुद्राए, तांबे की कुल्हाडियाँ अंगूठियाँ, चुडियाँ पत्थर के मनके, चटूरे इत्यादि प्राप्त हुए है ।
- गोपीनाथ शर्मा ने आहड सभ्यता का स्वर्णकाल 1900 ईसा पूर्व - 1200 ईसा पूर्व माना है ।

रंग महल:- अवस्थिति:- हनुमानगढ
नदी:-घग्घर सरस्वती/चौतांग/दृषद्धती
उत्खनन:- श्रीमति हन्नारिड
(स्वीडिश)-1952-54
रंगमहल:-लाल रंग के पात्रों पर काले रंग की डिजायन की गई है अत: नाम रंगमहल पडा ।
इनका मुख्य भोजन चावल था ।

सामग्री

- यहाँ घण्टाकार मृदपात्र, टोटीदार घडे, कटोरे, बर्तनों के ढक्कन, दीपदान एवं बच्चो की खिलौनों की पहियेदार गाडीयाँ इत्यादि मिली है ।
- यह स्थल कुषाणकालीन सभ्यता के समकालीन है । क्योंकि यहां से कुषाणकालीन सिक्के एवं मिट्टी की मुहरे मिली है ।
- मृण्यमूर्तियों पर गांधार शैली की छाप ।
- यहां से गुप्तकालीन खिलौने भी मिले है ।

बालाथल:- अवस्थिति :-वल्लभनगर उदयपुर)
नदी:- आयड/बेडच के किनारे स्थित
उत्खननकर्ता :-वी.एन. मिश्र (1994-2000)
अन्य सहयोगी:-वी. एस सिंह
आर. के. मोहनत देव

सामग्री

- यहां 3000 ईसा पूर्व -2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है ।
- यह एक ताम्रपाषाणिक सभ्यता है
- यहां के लोग मिट्टी के बर्तन एवं कपडा बुनना जानते थे ।
- यहां से एक दुर्गनुमा भवन एवं 11 कमरों वाला विशाल भवन भी मिला है ।
- यहां के निवासियों का सम्पर्क हडप्पा सभ्यता से होने के पुख्ता प्रमाण मिलते है ।
- यहां से मिट्टी का बना साँड की आकृति मिली है । यहां एक नलकूप एवं 5 लोहा गलाने की भट्टियों के साक्ष्य भी मिलते है ।
- बुना हुआ वस्त्र मिला है ।

गिलूण्ड :- अवस्थिति:- राजसमन्द
नदी:- बनास उत्खननकर्ता:-बी. बी. लाल (1957-58)
अन्य सह उत्खननकर्ता:- बी. एस. शिन्दे पूना
ग्रेगरी
फेशल
अमेरिका
1998-2008
उपनाम:-बनास संस्कृति

सामग्री

- ताम्रयुगीन सभ्यता है, जिसका समय 1900BC-1700BC निर्धारित किया गया है ।
- यहां से पांच प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले है । (1) सादे (2) काले (3) पालिशदार (4) भूरे (5) लाल एवं काले
- यहां पक्की हुई ईटों का प्रयोग किया गया है । यहां से मिट्टी के खिलौने पत्थर की गोलियाँ एव हाथी दांत की चुडियों के अवशेष मिले है

ओझनिया :- अवस्थिति :- भीलवाडा
उत्खनन : - भारतीय सर्वेक्षण विभाग (2000 ई.)

सामग्री

- यहां की भवन संरचना के आधार पर तीन स्तर की सभ्यता की जानकारी मिलती है ।
- सभी स्तरों पर काले एवं लाल रंग के मृदभाण्ड सफेद रंग से चिन्हित है तथा बनाने की विधि भी अलग है ।
- गाय एवं बैल की मृण्मूर्तियाँ, ताँबे की चुडियाँ, खिलौना, गाडी के पहिये, प्रस्तर हथौडा एवं कार्नेलियन फियास मिला है ।

गणेश्वर:- अवस्थिति:- नीम का थाना (सीकर)
नदी- काँतली
उत्खननकर्ता :-R.C. अग्रवाल 1977

सामग्री

- यहां से 2800BC पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते है ।
- इतनी प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता भारत मे दूसरी नही है अतः इसे "ताम्रयुगीन सभ्यताओ की जननी" कहा जाता है ।
- यहां से प्राप्त ताम्र उपकरणों मे 99 प्रतिशत तांबा है ।
- मकान पत्थरों से निर्मित
- भारत में पहली बार ताम्र उपकरण एक साथ यही प्राप्त हुए है ।
- यहां मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए है, जिन्हे कपीषवर्णी मृदपात्र कहा जाता है ।
- यह बर्तन काले एवं नीले रंग से सजाएं हुए है ।
- यहां से ताँबा का निर्यात हडप्पा सभ्यता को किया जाता था ।
- यहां से कुल्हाडी, तीर, भाले, सुईयाँ चुडियाँ एवं मछली पकडने का कांटा भी प्राप्त हुआ है ।

बैराठ :- अवस्थिति-जयपुर
नदी- बाण गंगा/ताला नदी
उत्खननकर्ता-दयाराम साहनी (1936-37)
अन्य उत्खननकर्ता:-कैलाशनाथ दीक्षित एवं नीलरत्न बनर्जी
यह एक लौह युगीन सभ्यता है

अन्य विशेषताएँ एवं सामग्री

- बैराठ प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी ।
- यहां बीजक की पहाडी, भीमजी की पहाडी (मोतीडुंगरी), महादेव जी की पहाडी उल्लेखनीय है, जहां से पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है ।
- महाभारत काल मे पाडवों ने यहां अज्ञातवास काटा था ।

कला एवं संस्कृति

राजस्थान के त्यौहार

विक्रमी संवत् के महिने : (चन्द्रमा आधारित)

(1) चैत्र	(2) वैशाख
(3) ज्येष्ठ	(4) आषाढ
(5) श्रावण	(6) भाद्रपद
(7) आश्विन	(8) कार्तिक
(9) मार्गशीर्ष	(10) पौष
(11) माघ	(12) फाल्गुन

- सूर्य आधारित कैलेण्डर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत् में एक (1) अतिरिक्त महिना जोड दिया जाता है इसे अधिकमास कहा जाता है । चन्द्रमा आधारित $29\frac{1}{2} \times 12 = 355$

$= 365 + 10\ days\ (1\ year)$

पौष	–	माघ	– जनवरी
माघ	–	फाल्गुन	– फरवरी
फाल्गुन	–	चैत्र	– मार्च
चैत्र	–	वैशाख	– अप्रैल
वैशाख	–	ज्येष्ठ	– मई
ज्येष्ठ	–	आषाढ	– जून
आषाढ	–	श्रावण	– जुलाई
श्रावण	–	भाद्रपद	– अगस्त
भाद्रपद	–	आश्विन	– सितम्बर
आश्विन	–	कार्तिक	– अक्टूबर
कार्तिक	–	मार्गशीर्ष	– नवम्बर
मार्गशीर्ष	–	पौष	– दिसम्बर

''तीज त्यौहारा बावडी ले डूबी गणगौर''

हिन्दु त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीय अर्थात् (छोटी तीज) से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीय (गणगौर) पर समाप्त हो जाते हैं ।

1. श्रावण

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
पंचमी – नाग पंचमी	तृतीयाः – छोटी तीज
नवमी – निडरी नवमी (नेवले की पूजा)	जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है
अमावस्याः हरयाली अमावस्या मेलेः	• यह पति – पत्नी के प्रेम का त्यौहार है । • यह प्रकृति – प्रेम का त्यौहार है ।
1. कल्पवृक्ष – मांगलियावास (अजमेर) 2. फतेह सागर झील मेला (उदयपुर) 3. बुढा जोहड मेला (श्री गंगानगर)	• इसमें महिलाएँ ''लहरिया'' ओढनी ओढती है । • सिंजाराः नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार पूर्णिमाः रक्षाबन्धन (नारियल पूर्णिमा) इस दिन ''श्रवणकुमार'' की पूजा की जाती है ।

2. भाद्रपद (सबसे ज्यादा त्यौहार)

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
तृतीया : बडी तीज बूढी तीज सातुडी तीज कजली तीज • बूँदी में बडी तीज की सवारी प्रसिद्ध है ।	द्वितीया – ''बाबे री बीज'' (रामदेव जयन्ती) • रूणीचा (रामदेवरा) में रामदेवजी का मेला लगता है जो द्वितीया से लेकर ग्यारस तक चलता है । • इस मेलें को ''मारवाड का कुम्भ'' कहा जाता है ।
षष्ठी (छठ) : अब छठ (लडकी पूरे दिन खडी रहती है अच्छे वर के लिए व्रत करती है ।)	चतुर्थी : (चौथ) • गणेश चतुर्थी • शिव चतुर्थी • कलंक चतुर्थी • चतरा चौथ मेले: 1. त्रिनेत्र गणेश मेला – रणथम्भौर 2. 'चुंगी तीर्थ मेला' – जैसलमेर (गणेश जी का मेला)
अष्ठमीः कृष्ण जन्माष्टमी	
नवमीः गोगानवमी इस दिन किसान ''हल'' को 9 गाँठ वाली राखी बाँधता है ।	

मेले: 1. ददरेवा (चुरू) 2. गोगामेढी (हनुमानगढ)	पंचमी: ऋषि पंचमी • सप्त ऋषि की पूजा की जाती है । • 'माहेश्वरी समाज का रक्षाबन्धन'
द्वादशी/बारस: बछबारस (इस दिन साबूत अनाज का प्रयाग होता है, चाकू का प्रयाग नही होता)	मेले: 1. भोजन थाली मेला–कामा भरतपुर 2. हरिराम जी का मेला –झोरडा नागौर (साँप से बचाते है ।)
अमावस्या : सती अमावस्या झुन्झुनु में मेला लगता है । (3,6,9,12,15)	अष्टमी: राधाष्टमी • सलेमाबाद (अजमेर) में निम्बार्क सम्प्रदाय का मेला होता है । • इस सम्प्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की पत्नी मानते है । दसमी – तेजादसमी परबतसर (नागौर) में पशु मेला एकादशी – जलझूलनी/देवझूलनी एकादशी (इस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है) चतुर्दशी: अनन्त चतुर्दशी (इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है ।) पूर्णिमा : श्राद्ध प्रारम्भ

3. अश्विन

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
श्राद्ध पक्ष (16 दिन) (कोई मंगल काम नहीं होता है 16 दिन) • साँझी की पूजा की जाती है । गोबर और मिट्टी की गोल आकृति की पूजा की जाती है । • उदयपुर के मत्स्येन्द्र नाथ मन्दिर को साँझी का मन्दिर कहा जाता है । नाथद्वारा में केले की साँझी बनाई जाती है । श्राद्ध पक्ष के अन्तिम दिन ''थम्बुडा व्रत'' किया जाता है ।	एकम : शारद नवरात्र प्रारम्भ अष्टमी : दुर्गाष्टमी होमाष्टमी दशमी : विजयादशमी कोटा राजस्थान मैसूर (कर्नाटक) के दशहरे प्रसिद्ध है । • हथियारों की पूजा की जाती है । • खेजडी की पूजा की जाती है । 5 जून 1988 को खेजडी पर डाक टिकट जारी हुआ था, राजस्थान का ऐसा पेड जिसकी हर चीज उपयोगी होती है । इस दिन ''लीलटांस'' को देखना शुभ माना जाता है । कन्हैया लाल सेठिया ने लीलटांस नामक कविता लिखी । पूर्णिमा : (शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा) – मारवाड महोत्सव / मांड महोत्सव (जोधपुर) – मीरा महोत्सव – चित्तौड

4. कार्तिक

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
चतुर्थी : करवा चौथ अष्टमी: अहोई अष्टमी (सन्तान की लम्बी उम्र की कामना के लिए व्रत) त्रयोदशी: धनतेरस ''धनवन्तरि जयन्ती'' (धनवन्तरि भारत के बहुत बडे डॉ. थे ।) चतुर्दशी : रूप चतुर्दशी अमावस्या : दीपावली • भगवान महावीर का निर्वाण दिवस • दयानन्द सरस्वती	एकम् : • गोवर्धन पूजा • नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है तथा भील जनजाति बडी संख्या में भाग लेती है । द्वितीया: भैया दूज / यम द्वितीया अष्टमी: गोपाष्टमी नवमी: आंवला नवमी/अक्षय नवमी आंवला अक्षय (कभी खराब नहीं होता है ।) (दिपावली के 9 दिन बाद आंवले खाते है) एकादशी: देवउठनी एकादशी ''प्रबोधिनी एकादशी'' इस दिन ''पुष्कर मेला'' प्रारम्भ होता है । पूर्णिमा: • सत्यनारायण पूर्णिमा • इस दिन कार्तिक स्नान होता है । मेले: • पुष्कर मेला • कोलायत मेला (बीकानेर) • चन्द्रभागा मेला (झालरापाटन)
5. मार्गशीर्ष	कोई त्यौहार नही
6. पोष	कोई त्यौहार नहीं

	• रामेश्वरम् मेला (सवाई माधोपुर) (चन्द्रभागा मेला में मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय-विक्रय किया जाता है ।) मालवी नस्ल: एम.पी. मालवा पशु होने के कारण (कोलायत में कपिल मुनि रहते थे जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था ।)

7. माघ

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
चतुर्थी: तिल चतुर्थी संकटहरण चतुर्थी मेला: चौथ का बरवाडा (स. माधोपुर) एकादशी: षट्तिला एकादशी (6 प्रकार के तिल का दान) अमावस्या: मौनी अमावस्या (इस दिन मौन रहा जाता है ।) • इस दिन ''कुंभ मेले का शाही स्नान'' होता है ।	एकम् : गुप्त नवरात्र प्रारम्भ पंचमी : बसन्त पंचमी (सरस्वती पूजा की जाती है) • इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है । पूर्णिमा: ''नवाटापरा गाँव'' (डूँगरपुर) में ''वेणेश्वर मेला'' भरता है । (एक मन्दिर का नाम) • यहाँ पर सोम माही जाखम • नदियाँ आकर मिलती है । • यहाँ पर खण्डित शिवलिंग की पूजा की जाती है । • वेणेश्वर को ''आदिवासियों का कुम्भ'' • तथा ''वागड का पुष्कर'' कहा जाता है ।

8. फाल्गुन

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
त्रयोदशी– महाशिवरात्रि • शिवाड (सवाई माधोपुर) में ''घुश्मेश्वर महादेव जी का मेला'' भरता है	द्वितीया: फुलेरा दूज (शादी के साथे) पूर्णिमा : होली • भिनाय (अजमेर) – कोडामार होली • महावीर जी (करौली) – लठमार होली • बाडमेर – पत्थरमार होली (भिनाय में राजस्थान की पहली सहकारी समिति (1904) में बनाई थी ।) • इस दिन इलोजी (होलिका का पति) की बारात निकाली जाती है । (बाडमेर में) (इलोजी : मारवाड में ''छोडछाड का देवता'' कहते है ।) • इस दिन ब्यावर (अजमेर) में ''बादशाह'' की सवारी निकाली जाती है । • इस दिन टोडरमल बादशाह होता है । • सांगोद (कोट) – ''न्हाण की झाँकिया'' निकलती है । • जयपुर में''जन्म–मरण–परण'' का त्यौहार होता है ।

9. चैत्र

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
एकम् : धुलण्डी अष्टमी : शीतला अष्टमी (बास्योडा) इस दिन चाकसू (जयपुर) में ''गधों का मेला'' लगता है ।	एकम् : विक्रमी नव वर्ष प्रारम्भ (हिन्दुओं का नव वर्ष) 1956 (विक्रमी संवत्) में अकाल (छपनियाँ अकाल) पडा था । 1956 विक्रमी संवत् – 1899 ई. सन् तृतीया: गणगौर
शीतला माता का वाहन अष्टमी / नवमी: ऋषभदेव मेला – धुलेव (उदयपुर) जैनो के प्रथम भगवान (आदिनाथ) भील जनजाति इन्हे केसरिया नाथ जी या कालाजी के रूप में पूजती है । एकादशी: जौहर मेला (चित्तौडगढ) (होली के 11 दिन बाद)	• जयपुर व उदयपुर को गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है । • जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है । • नाथद्वारा में इसे ''गुलाबी गणगौर'' या चुनडी गणगौर कहा जाता है । (इस दिन भगवान कृष्ण को गुलाबी चुनडी पहनाई जाती है ।) • यह(गणगौर) सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है । • इन दिन लडकियाँ अपने लिए अच्छे पति तथा अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत करती है । • जैसलमेर में ''गणगौर'' ''चतुर्थी'' को मनाई जाती है । नवमी: राम नवमी पूर्णिमा : हनुमान जयन्ती मेले: • सालासर (चुरू) (दाढी मुँछ वाले बालाजी) • मेहंदीपुर बालाजी (दौसा) • (बालाजी दक्षिण में विष्णु भगवान को कहा जाता है ।)

10. वैशाख

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
तृतीया : धींगा गवर जोधपुर में धींग गवर मेला होता है (धींगा = जबरदस्ती)	तृतीया: अक्षय तृतीया इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बालविवाह होते है । (बीकानेर का स्थापना दिवस) विक्रम संवत् = 1547

	पूर्णिमाः • बुद्ध पूर्णिमा • पीपल पूर्णिमा (भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान मिला था ।) मेलेः 1. बाणगंगा मेला (विराटनगर जयपुर) 2. गोमतीसागर मेला (झालरापाटन) मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय-विक्रय 3. नक्की झील मेला - माउण्ट आबू 4. मातृकुण्डिया मेला - चित्तौड 5. गोतमेश्वर मेला - आरगोद (प्रतापगढ) इस दिन पोकरण में परमाणु परीक्षण किया गया था ।

11. ज्येष्ठ

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
अमावस्याः बडमावस (वट वृक्ष अमावस्या)	दशमीः गंगा दशमी - कांमा (भरतपुर) में गंगा दशमी मेला होता हैं । एकादशीः निर्जला एकादशी - इस दिन उदयपुर में पतंगे उडाई जाती हैं ।

12. आषाढ

कृष्ण पक्ष	शुक्ल पक्ष
	एकम् : गुप्त नवरात्रा प्रारम्भ नवमी : भदल्या नवमी एकादशी : देवशयनी एकादशी पूर्णिमा : गुरू पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा (वेद व्यास महाभारत के रचयिता का जन्मदिन)

धर्म	यहुदी	ईसाई	इस्लाम
ईश्वर	मोजेस	जीसस	मोहम्मद साहब
पवित्र किताब	ओल्ड टेस्टामेट	बाईबल	कुरान
शुभ दिन	शनिवार	रविवार	शुक्रवार

राजस्थान की उत्पत्ति

अंगारालैण्ड
पैंजिया का उत्तरी भाग जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ है ।

गोंडवानालैण्ड
पैंजिया का दक्षिणी भाग जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है ।

टेथिस सागर
यह एक भूअन्नति है जो अंगारालैण्ड व गोंडवानालैण्ड के मध्य स्थित है ।

Note– राजस्थान का निर्माण

GT

G – गोंडवाना लैण्ड
अरावली
हाडौती

T – टेथिस सागर
मरूस्थल
मैदान

भौगोलिक प्रदेश
अरावली व हाडौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है जबकि मरूस्थल व मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है ।

राजस्थान : स्थिति, विस्तार एवं आकार

भारत

उत्तर पश्चिम	

विश्व

	उत्तर पूर्व

एशिया

दक्षिण पश्चिम	

B विस्तार
- अक्षांश – $23^0 3'$ से $30^0 12'$ उत्तरी अक्षांश
- देशांतर – $69^0 30'$ से $78^0 17'$ पूर्वी देशांतर
- क्षेत्रफल – 3,42,239.74 वर्ग किमी. (1,32,140 वर्ग मील)

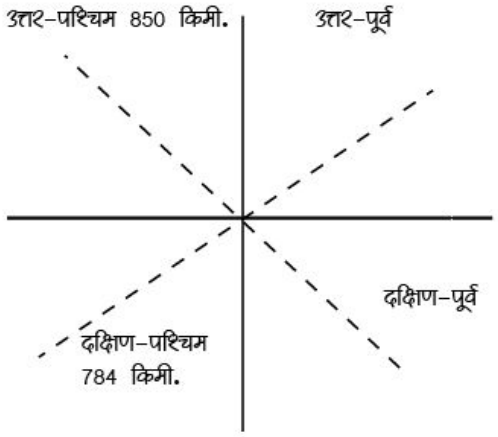

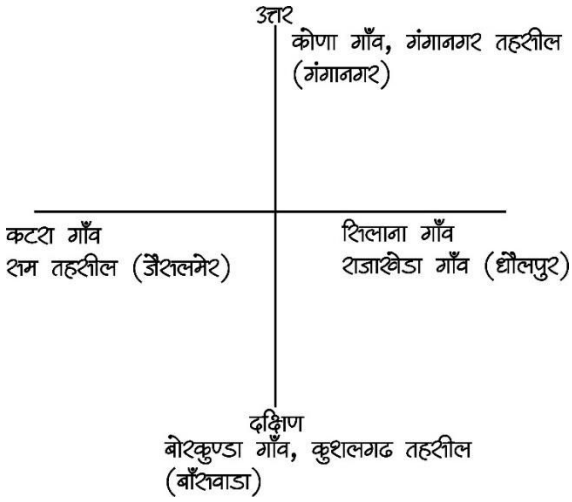

C- आकार
Rhombus – T. H. हैडले ने कहा
विषम चतुष्कोणीय (रोहम्बस)
पतंगाकार

राजस्थान के क्षेत्रफल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

1. राजस्थान का क्षेत्रफल 342239.74 वर्ग किमी है ।
2. यह भारत के क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है ।
3. विश्व क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25 प्रतिशत धारण करता है ।
4. राजस्थान भारत का सबसे बडा राज्य है ।
5. राजस्थान का सबसे बडा जिला जैसलमेर है । 38401 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है ।
6. जैसलमेर सम्पूर्ण राजस्थान का 11.22 प्रतिशत क्षेत्रफल धारण करता है ।
7. धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किमी है ।
8. धौलपुर सम्पूर्ण राज्य का .89 प्रतिशत क्षेत्रफल धारण करता है ।
9. जैसलमेर धौलपुर से 12.67 गुणा बडा है ।
10. कर्क रेखा राज्य के डुंगरपुर की सीमा को छूते हुए तथा बांसवाडा के मध्य से होकर गुजरती है ।
11. कर्क रेखा की लम्बाई राज्य में 26 किमी है ।
12. कर्क रेखा पर सबसे लम्बा दिन 13 घंटे 27 मिनट का होता है जो 21 जून को होता है । यह कर्क संक्रांति कहलाता है ।
13. राज्य में पूर्व से पश्चिम समय अंतराल 35 मिनट 8 सैकेण्ड का है ।
14. राज्य का मध्य गांव गगराना नागौर है ।

प्रमुख देश		राजस्थान का क्षेत्रफल (बडा)
जर्मनी	–	बराबर
जापान	–	बराबर
ब्रिटेन	–	दोगुना
श्रीलंका	–	5 गुना
इजराइल	–	17 गुना

राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बडे एवं सबसे छोटे जिले

बडे जिले	छोटे जिले
जैसलमेर	धौलपुर
बीकानेर	दौसा
बाडमेर	डुंगरपुर
जोधपुर	प्रतापगढ
नागौर	

(c) राजस्थान की सीमाः–

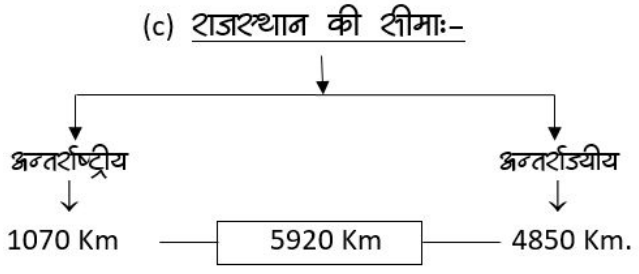

अन्तर्राज्यीय सीमा एवं उन पर स्थित जिले

सीमा– 4850 किमी.

पडोसी राज्य	उनकी सीमा पर राजस्थान के जिले
पंजाब	हनुमानगढ, गंगानगर
हरियाणा	जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ, सीकर, चुरू, झुंझुनु, अलवर
उत्तरप्रदेश	भरतपुर, धौलपुर
मध्यप्रदेश	धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाडा, कोटा, बांसवाडा, बांरा, झालवाड, प्रतापगढ, चित्तोडगढ
गुजरात	बाडमेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाडा

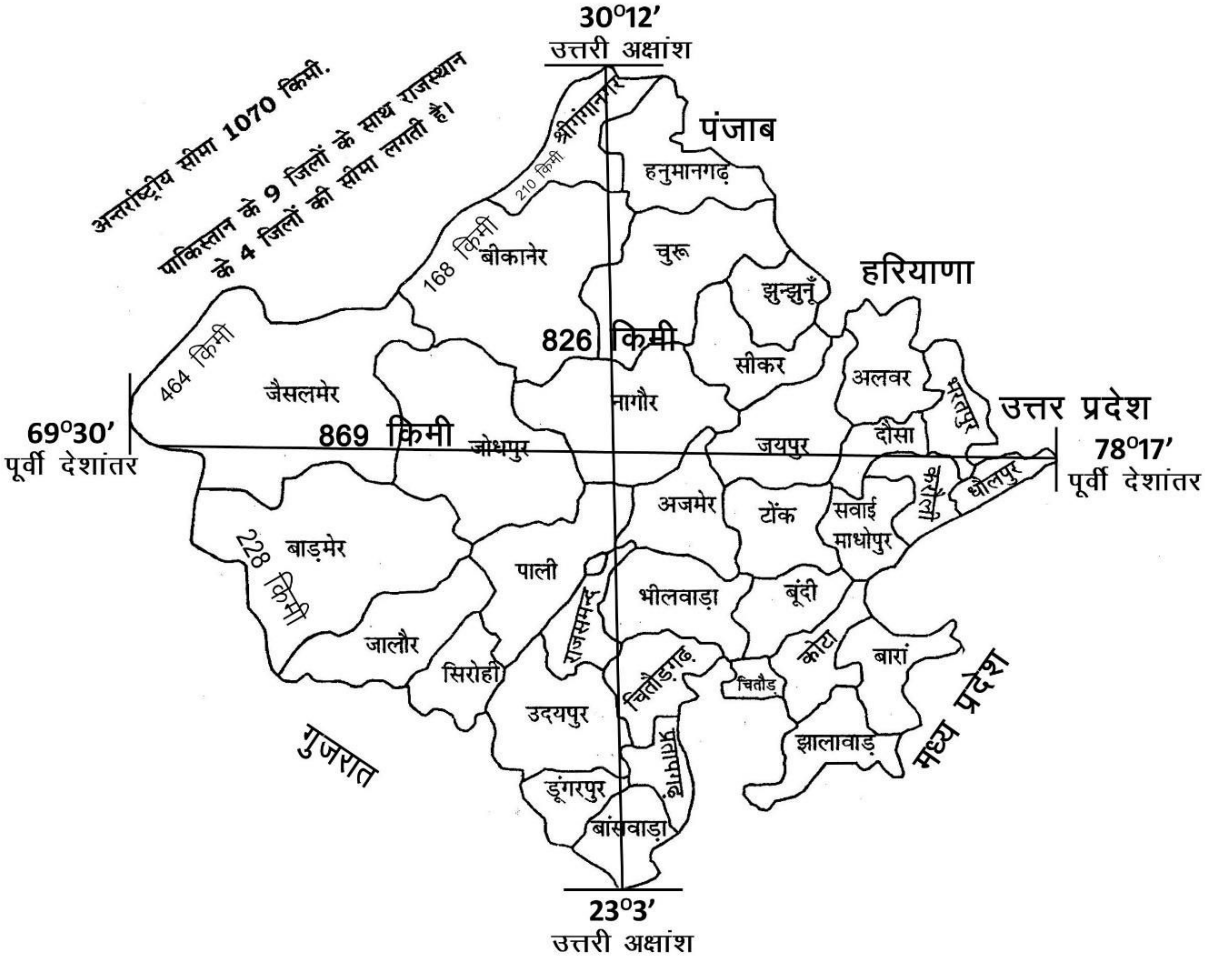

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा उस पर स्थित जिले

नोटः-

(1) राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैः-

- हनुमानगढ – पंजाब . हरियाणा
- भरतपुर – हरियाणा . U.P.
- धौलपुर – U.P. + M.P.
- बाँसवाडा – M.P. गुजरात

(2) कोटा व चित्तौडगढः- राजस्थान के वे जिले है जो एक राज्य (M.P.) से दो बार सीमा बनाते है ।

(3) कोटा :- राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है वह अविखण्डित है ।

(4) चित्तौडगढः- राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है व विखण्डित है ।

(5) भीलवाडाः- चित्तौडगढ को 2 भागो में विखण्डित करता है ।

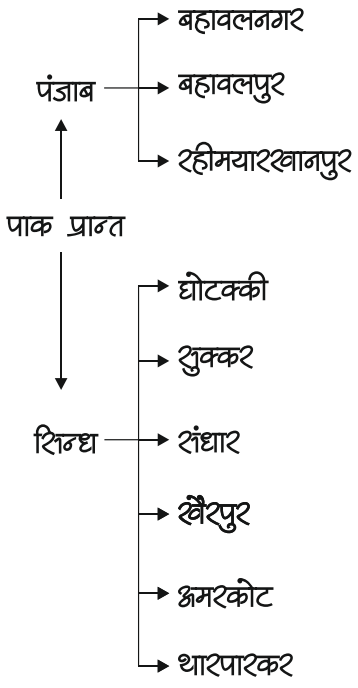

अन्तर्राज्यीय सीमा पर

सर्वाधिक सीमा	सबसे कम
झालावाड	बाड़मेर
(M.P.)	(गुजरात)

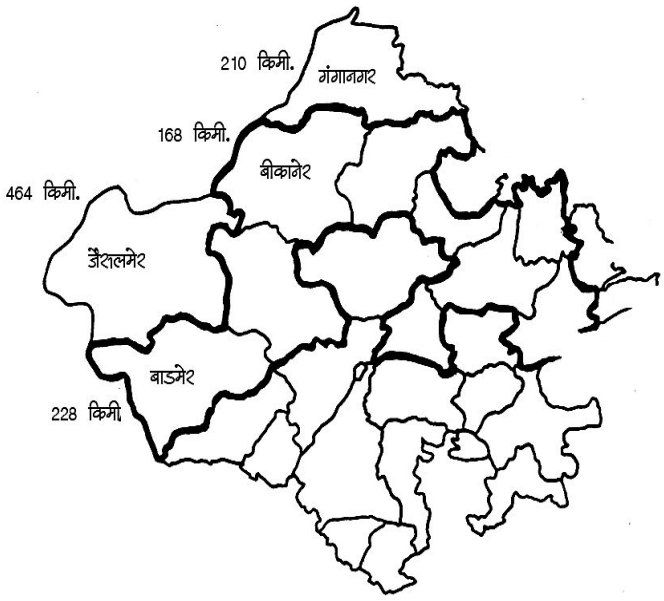

- 25 जिले : राजस्थान के सीमावर्ती जिले
- 23 जिले : अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती
- 4 जिले : अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती
- 2 जिले : अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती (श्रीगंगानगर . बाड़मेर)
  8 जिले : राजस्थान के वे जिले जो अन्तः स्थलीय (Land locked) सीमा बनाते हैं ।

Trick – जोधा बूँटी राजा आज ना पा दो

जोधपुर बूंदी टोंक राजसमन्द अजमेर नागौर पाली दौसा

पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है । जो निम्न है –
बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, नागौर ।

अजमेर :- चित्तौड़गढ के बाद राजस्थान का दूसरा विखण्डित जिला
राजसमन्द :- राजसमन्द अजमेर का दो भागों में विखण्डित करता है ।
इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है ।
राजनगर राजसमन्द का जिला मुख्यालय है ।
नागौर :- नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है ।
(जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर)

सीमावर्ती विवाद

मानगढ हिल्स विवाद:-
स्थिति = बाँसवाडा
विवाद = राजस्थान-गुजरात के मध्य

बजट 2018-19 में इसके विकास के लिए 7 करोड का प्रस्ताव रखा गया है ।

1. पाकिस्तान का बहावलपुर का सर्वाधिक सीमा गंगानगर के साथ बनाता है ।
2. न्यूनतमक सीमा बाड़मेर के साथ बनाता है ।
3. पाकिस्तान के 9 जिले भारत के साथ सीमा बनाते हैं ।
4. पाकिस्तान के 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं ।
5. भारत के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं ।
6. जैसलमेर सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है ।
7. बीकानेर सबसे कम सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है ।
8. नाम- सर सिरील रेड रेडक्लिफ रेखा
9. निर्धारण तिथि - 17 अगस्त 1947
10. शुरूआत - हिन्दूमलकोट
11. अंत - शाहगढ(बाड़मेर)
12. राजस्थान की कुल सीमा का 18: (1070 किमी.) है।
13. पाकिस्तान प्रान्त राज्य = 2 (पंजाब व सिन्ध)
14. श्रीगंगानगर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है ।
15. बीकानेर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है ।
16. धौलपुर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है ।
17. बीकानेर सबसे कम सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है ।
18. नाम- सर सिरील रेड रेडक्लिफ रेखा
19. निर्धारण तिथि - 17 अगस्त 1947
20. शुरूआत - हिन्दूमलकोट
21. अंत - शाहगढ(बाड़मेर)
22. राजस्थान की कुल सीमा का 18: (1070 किमी.) है।
23. पाकिस्तान प्रान्त राज्य = 2 (पंजाब व सिन्ध)
24. श्रीगंगानगर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है ।
25. बीकानेर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है ।

26. धौलपुर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है ।

Start हिन्दूमलकोट(श्रीगंगानगर) 210किमी.

↓

बीकानेर 168 किमी. (Minimum)

↓

जैसलमेर 464 किमी. (Maximum)

↓

End शाहगढ(बाडमेर) 228 किमी

राजस्थान के प्रादेशिक के परिवर्तन का स्वरूप एवं वर्तमान नाम

प्राचीन नाम	बदला स्वरूप	वर्तमान नाम
योद्धेय	जोहयावाटी	गंगानगर
जांगल	भटनेर	बीकानेर
अहिच्छत्रपुर	अहिपुर	नागौर
गुर्जर	गुरजान्ना	मण्डोर–जोधपुर
शाकंभरी सांभर	अजयमेरू	अजमेर
श्रीमाल स्वर्णगिरि	गेलोर भीनमाल	बाडमेर
वल्ल	डुंगल	जैसलमेर
अर्बुद	चन्द्रावती	सिरोही
विराट	रामगढ	जयपुर
शिवि	चित्तौड	उदयपुर
कांठल	देवलिया	प्रतापगढ
पालन	दशपुर	झालावाड
व्याघ्रावाट	वांगड	बांसवाडा
जाबालीपुर	स्वर्णगिरि	जालौर
कुरू		भरतपुर, करौली
शौरसेन		धौलपुर
हयहय		कोटा, बूंदी
चंद्रावती		आबू, सिरोही
छप्पन मैदान		प्रतापगढ, बांसवाडा के छप्पन ग्राम समूह
मेवल		डूंगरपुर, बांसवाडा के बीच का भाग
ढूंढाड		जयपुर
थली		चुरू, सरदार शहर
हाडौती		कोटा, बूंदी, झालावाड
शैखावटी		चरू, सीकर, झुंझनू

लोकतंत्र के 3 स्तम्भ

- विधायिका – कानून बनाना
- कार्यपालिका – जो कानून बने है, उन्हें क्रियान्वित करना

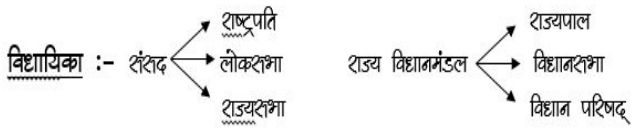

- न्यायपालिका – उपयुक्त कानून सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं इस बात की समीक्षा करना
  इन तीनों का सिद्धांत माण्टेस्क्यू ने दिया था ।

कार्यपालिका :– यह दो प्रकार की होती है ।
1. अस्थाई कार्यपालिका :- इसके तहत 'मंत्रीपरिषद्' होती है ।
2. स्थाई कार्यपालिका :- इसके तहत 'नौकरशाही' होती है ।

न्यायपालिका :– सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय

1. संविधान की पृष्ठभूमि

संविधान सभा

- सर्वप्रथम 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की ।
- 1938 में कांग्रेस ने यह मांग की कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए
- 1940 अगस्त प्रस्ताव – इसके तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि संविधान सभा में भारतीय सदस्य होंगें और भारतीय सदस्य ही संविधान बनाएगें ।
- 1942 क्रिप्स मिशन – इसके तहत पहली बार संविधान सभा एवं इसके निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया ।
- 1946 कैबिनेट मिशन – इसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन 4 जुलाई – अगस्त 1946 में हुआ । संविधान सभा का चुनाव प्रान्तीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया गया । इसके तहत संविधान सभा के सदस्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया ।
  (1) मुस्लिम (2) सिक्ख
  (3) सामान्य

संविधान सभा के सदस्य

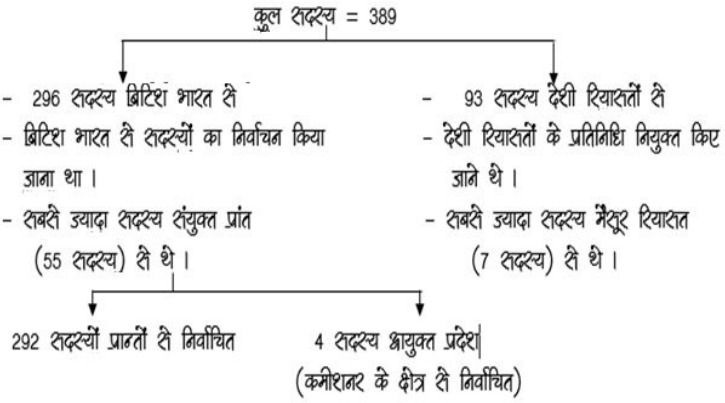

आयुक्त प्रदेश :– दिल्ली, अजमेर-मेरवाडा, बलुचिस्तान, कुर्ग (कर्नाटक) चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया ।

संविधान सभा की प्रथम बैठक :– 9 दिसम्बर 1946 अध्यक्ष – सच्चिदानंद सिन्हा

संविधान सभा की दूसरी बैठक :– 11 दिसम्बर 1946 स्थायी अध्यक्ष – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद,
उपाध्यक्ष – H. C. मुखर्जी
सलाहकार – B. N. राव

- संविधान का पहला प्रारूप B. N. राव ने तैयार किया संविधान का मुख्य प्रारूप B. R. अम्बेडकर ने तैयार किया ।
- 13 दिसम्बर को जवाहर लाल नेहरू द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया गया जो कि 22 जनवरी 1947 को पास किया गया ।

उद्देश्य प्रस्ताव

- यह एक प्रकार से संविधान के लिए संविधान की रूपरेखा थी । इसमें संविधान के मूल आदर्शो की स्थापना की गई । यह एक मार्गदर्शिका थी ।
- संविधान सभा ने अपने कार्य विभाजन के लिए अनेक समितियों का गठन किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार है–

क्र. स.	समितियाँ	अध्यक्ष
1.	संघीय शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
2.	संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
3.	प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
4.	मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक के	सरदार वल्लभ भाई पटेल

	समर्थन में सलाहकार समिति	
5.	राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में तदर्थ समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6.	मूल अधिकारों के संदर्भ में उप समिति	जे. बी. कृपलानी
7.	अल्प संख्यको के संदर्भ में उप समिति	एच. सी. मुखर्जी
8.	प्रारूप समिति	भीमराव अम्बेडकर

<u>प्रारूप समिति</u> :-

- इसमें कुल 7 सदस्य थे ।
- अध्यक्ष – भीमराव अम्बेडकर
- <u>अन्य सदस्य</u>

<u>प्रारूप समिति</u> :-

- इसमें कुल 7 सदस्य थे ।
- अध्यक्ष – भीमराव अम्बेडकर
- <u>अन्य सदस्य</u> –
  1. गोपाल स्वामी आयंगर
  2. अल्लदी कृष्णा स्वामी अय्यर
  3. के. एम. मुंशी
  4. सईद मोहम्मद सादुल्ला
  5. बी. एल. मित्र, स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसके स्थान पर एन. माधवराव आए थे ।
  6. डी. पी. खैतान, मृत्यु होने पर इसके स्थान पर टी. टी. कृष्णामाचारी आए थे ।

- 15 अगस्त 1947 के बाद भारत व पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे ।
- अंतिम रूप से संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे । जे. पी. नारायण एवं तेज बहादुर सप्रु ने खराब स्वास्थ्य के कारण संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया ।
- 22 जुलाई 1947 के बाद संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी ।
- 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा ने विधानमंडल का कार्य भी किया जिसके अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर थे ।
- 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए मान्यता दे दी ।
- संविधान सभा में 12 महिला सदस्य थी । सरोजनी नायडू, ऊषा मेहता, दुर्गा बाई देशमुख एवं अन्य
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किये । इसी दिन से 15 अनुच्छेद लागू किये गये । संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गयी । इसके बाद भी संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही । इसके बाद 1952 में संसद के गठन के बाद संविधान सभा पूर्णतया समाप्त हो गयी ।

- <u>संविधान सभा का मूल संविधान</u> :- भाग = 22, अनुच्छेद = 395, अनुसूचियाँ = 8
  <u>वर्तमान में</u> :- भाग = 24 (चार नए भाग है- 4A, 9A, 9B, 14A) (नोट- 7 वां भाग 7 वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया ।) अनुच्छेद = 446, अनुसूचियाँ = 12

2. भारतीय संविधान के स्त्रोत

1. <u>भारत सरकार अधिनियम</u> :- यह भारतीय संविधान का मुख्य स्त्रोत है । हमारे संविधान के लगभग 2/3 अनुच्छेद इसी से लिए गए है । आपातकाल लगाने की व्यवस्था केन्द्र व राज्यों के बीच विषयों का विभाजन आदि ।

2. <u>ब्रिटेन/इंग्लैण्ड</u> :-
   (1) संसदीय शासन व्यवस्था
   (2) कैबिनेट व्यवस्था
   (3) सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना
   (4) राष्ट्रपति का अभिभाषण
   (5) रिट जारी करना
   (6) एकल नागरिकता
   (7) न्याय के समक्ष समानता
   (8) First Past The Post System (सर्वाधिक मत लाने वाला व्यक्ति विजयी होगा)
   (9) CAG की व्यवस्था, विधि का शासन

3. <u>अमेरिका</u> :-
   (1) मूल अधिकार
   (2) न्यायिक पुनरावलोकन
   (3) न्यायिक सर्वोच्चता
   (4) विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law)
   (5) राष्ट्रपति पर महाभियोग
   (6) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया

(7) प्रस्तावना की शुरूआत "हम भारत के लोग भारत को"
(8) उपराष्ट्रपति का पद

4. आयरलैण्ड :-
(1) नीति निदेशक तत्व
(2) राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
(3) राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन

5. ऑस्ट्रेलिया :-
(1) समवर्ती सूची
(2) संयुक्त अधिवेशन
(3) अन्तर्राज्यीय व्यापार-वाणिज्य और समागम
(4) प्रस्तावना का प्रारूप

6. दक्षिण अफ्रीका :-
(1) संविधान संशोधन
(2) राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

7. कनाडा :-
(1) संघात्मक ढांचा - केन्द्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, अवशिष्ट शक्ति केन्द्र के पास होती है ।
(2) राज्यपाल की नियुक्ति (जो कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति करता है)
(3) सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री व्यवस्था

8. फ्रांस :-
(1) गणतंत्रात्मक व्यवस्था
(2) स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व

9. जर्मनी :-
(1) वाइमर/वीमर गणतंत्र
(आपातकाल में मूल अधिकारों का निलम्बन)

10. रूस :-
(1) मूल कर्तव्य
(2) न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय) - Preamble

11. जापान :- (1) विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया (अनुच्छेद - 21)

3. अनुसूचियाँ

पहली अनुसूची :- भारत के राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश

दूसरी अनुसूची :- वेतनमान (जिनका वेतन संचित निधि पर भारित है)
- राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानपरिषद् का सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज, CAG, UPSC के चैयरमेन व सदस्य ।
- वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन में कटौती की जा सकती है ।

तीसरी अनुसूची :- शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप
- लोकसभा व राज्यसभा की सदस्यता के उम्मीदवार, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य (M.P.), मंत्री, विधानसभा की सदस्यता के उम्मीदवार, विधानसभा से सदस्य (M.L.A.), मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज, CAG
- तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का प्रावधान नहीं है । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ मूल संविधान में दी गयी है । लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती ।

चौथी अनुसूची :- राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सीटों का आवंटन

पांचवीं अनुसूची :- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध

छठी अनुसूची :- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उपबंध

सातवीं अनुसूची :-
- विषयों का विभाजन = संघ सूची - 97, राज्य सूची - 66, समवर्ती सूची - 47
वर्तमान में = संघ सूची - 100, राज्य सूची - 61, समवर्ती सूची - 52

आठवीं अनुसूची :-संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है ।
- मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गयी है ।
- (1967) 21 वें संविधान संशोधन द्वारा 15 वीं भाषा सिन्धी को मान्यता दी गयी ।

- (1992) 71 वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को मान्यता दी गयी ।
  (1) नेपाली (2) कोंकणी
  (3) मणिपुरी
- (2003) 92 वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को मान्यता दी गयी ।
  (1) संथाली (2) मैथिली
  (3) डोगरी (4) बोडो
- वर्तमान में कुल भाषाएं = 22
- **अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है ।**
- **हिन्दी व अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया है ।**

<u>नवीं अनुसूची</u> :– न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण

- (1951) पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस 9 वीं अनुसूची को जोडा गया ।
- 9 वीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता । लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें 1973 के बाद 9 वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

<u>दसवीं अनुसूची</u> :– दल–बदल से संबंधित प्रावधान

- (1985) 52 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 10 वीं अनुसूची को जोडा गया । बाद में 91 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 10 वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया ।

<u>ग्यारहवीं अनुसूची</u> :– ग्राम पंचायत/पंचायती राज व्यवस्था

- ग्राम पंचायतों को दिए गए 29 विषय शामिल है लेकिन इसमें से अभी तक 22 विषय ही दिए गए है ।
- (1992) 73 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 11 अनुसूची को शामिल किया गया ।

<u>बारहवीं अनुसूची</u> :– नगरपालिकाएं/नगर प्रशासन नगरपालिकाओं को 18 विषय दिए गए है । 74 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 12 वीं अनुसूची को शामिल किया गया।

4. संविधान के भाग

<u>भाग</u>	<u>अनुच्छेद</u>	<u>विषय</u>
भाग 1	अनु. 1 – 4	संघ और उसका राज्य क्षेत्र
भाग 2	अनु. 5 – 11	नागरिकता
भाग 3	अनु. 12 – 35	मूल अधिकार
भाग 4	अनु. 36 – 51	राज्य के नीति निदेशक तत्व
भाग 4(A)	अनु. 51(A)	मूल कर्तव्य
भाग 5	अनु. 52 – 151	संघ – कार्यपालिका, विधायिका (संसद), न्यायपालिका, CAG
भाग 6	अनु. 152 – 237	राज्य
भाग 7	7 वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त	
भाग 8	अनु. 239 – 242	केन्द्र शासित प्रदेश
भाग 9	अनु. 243	पंचायतें
भाग 9(A)		नगरपालिकायें
भाग 9(B)		सहकारी संस्थाएं
भाग 10	अनु. 244	अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र
भाग 11	अनु. 245 – 263	संघ और राज्यों के बीच संबंध
भाग 12	अनु. 264 – 300	वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद
भाग 13	अनु. 301 – 307	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
भाग 14	अनु. 308 – 323	संघ और राज्यों के अधीन सेवायें
भाग 14(A)	अनु. 323क, 323ख	अधिकरण
भाग 15	अनु. 324 – 329	निर्वाचन
भाग 16	अनु. 330 – 342	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
भाग 17	अनु. 343 – 351	राजभाषा
भाग 18	अनु. 352 – 360	आपात उपबंध
भाग 19	अनु. 361 – 367	प्रकीर्ण
भाग 20	अनु. 368	संविधान का संशोधन
भाग 21	अनु. 369 – 392	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
भाग 22	अनु. 393 – 395	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

5. प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है ।

- संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है।
- प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखण्डता शब्द 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ई. में जोडे गये।
- हमारी प्रस्तावना 4 बातें बताती है-
  - शक्ति का स्त्रोत - जनता स्वयं
  - राज्य की प्रकृति - सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी
  - उद्देश्य - न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना
  - कब - 26 नवम्बर, 1949 ई. (संविधान दिवस)

- एन. ए. पालकी वाला - इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है ।
- के. एम. मुंशी - प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्मकुंडली है ।
- अर्नेस्ट बर्कर - प्रस्तावना संविधान का Key Stone है ।
- ठाकुर दास भार्गव - प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ।
- टी. टी. कृष्णामाचारी - ने प्रस्तावना को "संविधान की आत्मा" कहा है ।

हम भारत के लोग :- शक्ति का स्त्रोत भारतीय जनता को माना गया है ।

राज्य की प्रकृति सम्प्रभु :- सम्प्रभु से तात्पर्य है कि भारत एक डोमिनियन स्टेट नहीं है । वह सभी प्रकार से एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने सभी प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव के लेता है । यद्यपि भारत राष्ट्रमंडल, UNO, WTO आदि का सदस्य है तथा इनके निर्देशों का पालन भी करता है लेकिन इससे हमारी सम्प्रभुता समाप्त नहीं होती क्योंकि इन संस्थाओं की स्थापना पारस्परिक सहयोग एवं विकास के लिए की गयी है और भारत ने स्वेच्छा से इनकी सदस्यता ली है ।

समाजवादी :- भारत लोकतांत्रिक समाजवादी देश है । समाजवाद का तात्पर्य है कि समाज के सभी लोगों को आर्थिक विकास का समान अधिकार हो । इसके तहत सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और संसाधनों का केन्द्रीकरण नहीं होने दिया जाएगा । भारत मार्क्सवादी देश नहीं है, यही कारण है कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनायी है । यद्यपि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हम उत्तरोत्तर पूंजीवाद की तरफ बढ रहे है । अतः समाजवाद का पारम्परिक अर्थ अप्रासंगिक हो रहा है ।

पंथनिरपेक्ष :- भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है लेकिन हमारी पंथनिरपेक्षता पाश्चात्य देशों से भिन्न है । पंथनिरपेक्षता का अर्थ है- "राज्य सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से उदासीन रहेगा अर्थात राज्य व धर्म के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा ।" लेकिन भारत में पंथनिरपेक्षता अलग अर्थ में है । भारत में पंथनिरपेक्षता से तात्पर्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा अर्थात राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा । राज्य किसी धर्म विशेष पर कर नहीं लगाएगा तथा राज्य धर्म से निरपेक्ष रहने की बजाय सभी धर्मो को समान रूप से संरक्षण देगा तथा धार्मिक आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

लोकतंत्र :- भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता की शासन में भागीदारी सुनिश्चित की गयी है, यद्यपि भारत भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से विशाल देश है प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गयी है । इसके तहत संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और पंचायती राज संस्थाओं का विकास करके जनता की भागीदारी को और अधिक बढाया जा रहा है और उत्तरोत्तर सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है ।

गणराज्य :- राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा और प्रत्येक नागरिक राष्ट्रध्यक्ष बन सकता है ।

न्याय :- सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय का आश्वासन दिया गया है ।

सामाजिक न्याय :- समाज में किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव जैसे जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा । सभी को समान रूप से गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें